गृह विभाग

दिनांक 21 मई, 1998

संख्या 5414/डी० 4:—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात जाखल, जिला हिसार, में पुलिस थाना भवन तथा उसके कर्मचारियों के लिए क्वाटरों के निर्माण के लिये अपेक्षित है, इस लिये, इसके द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो ।

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों तथा अपने सेवकों/तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये, इसके द्वारा, प्राधिकृत करते हैं ।

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, प्रकाशन या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से इनमें जो भी बाद में हो, तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अर्जन कलक्टर एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), टोहाना, के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप दायर कर सकता है ।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अर्जन कलक्टर एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), टोहाना, के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
हिसार	टोहाना	जाखल	47 / 25/2 (2-9), 49 / 4(7.5), 5(8.0), 6(8.0), 7(8.0).	क०—म० 33—14

के० जी० वर्मा,

वित्तायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार,
गृह विभाग ।

HOME DEPARTMENT

The 21st May, 1998

No. 5414/D-4.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by the Government at public expense, for a public purpose, namely, for construction of building for Police Station and its Staff quarters at Jakhal, district Hisar, it is hereby notified that the land in the locality specified below is needed for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, for the information of all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises the Officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may, within a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating the locality of which at least one shall be in the regional language, or publicity in the locality, whichever is later, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector-cum-Sub-Division Officer (Civil), Tohana.

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector-cum-Sub-Divisional Officer (Civil) Tohana.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality	Khasra No.	Area (Kanal Marla)
Hisar	Tohana	Jakhal	47 / 25/2(2—9)	33—14
			49 / 4(7.5),5(8.0),6(8.0),7(8.0)	

K. G. VARMA,

for Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Home Department, Chandigarh.

गृह विभाग

आदेश

दिनांक 30 अप्रैल, 1998

क्रमांक 2/7/96–2 गृह (गोपनीय).––चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

2. इसलिये, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर (दिनांक 22 अप्रैल, 1998 से 21 जुलाई, 1998 तक) तीन मास की अवधि के लिये प्रयोग की जा सकेगी।

के० जी० वर्मा,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

दिनांक, चण्डीगढ़, 27 अप्रैल, 1998

19629 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.